न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
उपस्थितः धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच0 जे0 एस0)
(JO CODE UP2002)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1082/2026
CNR No. UPGH010025772026

विशाल बिन्द उर्फ प्रभाष राम उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र रामलखन बिन्द साकिन बिन्दपुरवा महराजगंज, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर।

------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य
2– प्रहलाद मोदनवाल पुत्र स्व० हरिवंश साकिन वार्ड नं० 6 कस्बा सैदपुर, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर।

------विपक्षीगण

मु०अ०सं०–412/2025
धारा–331(4), 305 भारतीय न्याय संहिता
थाना–सैदपुर, **जनपद** गाजीपुर।
अभियुक्त की ओर सेः श्री शादाब अहमद, एडवोकेट
राज्य की ओर सेः श्री कृपाशंकर राय, जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

03-06-2026 **आदेश**

जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त को आदेश दिनांक 23-05-2026 के द्वारा आज तक के लिये अंतरिम जमानत पर अवमुक्त किया गया था, परन्तु आज विद्वान विचारण न्यायालय में आवेदक/अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाबत कोई भी प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री शादाब अहमद द्वारा बताया गया कि आवेदक/अभियुक्त को किसी अन्य मुकदमे में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

चूँकि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त द्वारा आज विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि आवेदक/अभियुक्त को पुलिस द्वारा दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.03 13:02:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court